महिला अभियान्त्रिकी महाविद्यालय,अजमेर

(बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का संघटक महाविद्यालय)

WOMEN ENGINEERING COLLEGE, AJMER

(A CONSTITUENT COLLEGE OF BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY, BIKANER)

Nasirabad Road, Makhupura, Ajmer – 305002

website: www.gweca.ac.in
email: principal@gweca.ac.in

Ph. No.: 0145-2695535
Fax No.:0145-2695102

32

बोली / निविदा की शर्तें एवं विनिर्देश

1. समस्त प्रकार की रद्दी विक्रय की अनुमानित राशि 55000 रूपए होने के कारण , शुरूआती बोली की न्यूनतम राशि 55000 रूपए से प्रारम्भ होगी। अतः बोलीदाता को 1100 रूपए धरोहर राशि (2 %) के रूप में जमा करानी होगी।
2. अधिकतम बोली पर नीलामी छोडी जायेगी।
3. जिसके नाम बोली छूटेगी, उसे बोली राशि तत्काल ऑनलाइन पेमेंट / नकद राशि के द्वारा प्राचार्य महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के अकाउंट में जमा करानी होगी।
4. जिसके नाम बोली छूटेगी उसे शर्तानुसार रद्दी सामग्री सात दिवस के अंदर उठानी होगी अन्यथा धरोहर राशि जब्त करली जावेगी।
5. बोली छूटने पर सामग्री की सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
6. नीलामी की कार्यवाही बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी स्थगित की जा सकती हैं।
7. नीलामी सम्बन्धी महाविद्यालय की वेबसाइट www.gweca.ac.in पर देखी जा सकती है।
8. सर्वाधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
9. धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
10. बोली स्वीकार करने का अंतिम निर्णय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर का रहेगा
11. माल उठाने, तुलवाने व परिवहन आदि का समस्त व्यय फर्म को ही वहन करना होगा।
12. सफल निविदादाता को स्वयं के स्तर पर लेबर की व्यवस्था अपने खर्चे पर करनी होगी।
13. उपयोग में ली हुई उत्तरपुस्तिकाओं / सामग्री का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाता उक्त दिनांक या एक दिन पूर्व जहां पर सामग्री रखी है उसका निरीक्षण प्राचार्या से अनुमति प्राप्त कर महाविद्यालय में कर सकते है।
14. नीलामी स्वीकृति पर सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि में माल न उठाने पर धरोहर राशि की जब्ती की कार्यवाही की जावेगी।
15. किसी भी प्रकार की विवादास्पद स्थिति मे प्राचार्य, महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। विधिक कार्यवाही की स्थिति में राजस्थान में अजमेर स्थित न्यायालय ही क्षेत्राअधिकार रहेगा।
16. सशर्त निविदा / बोली स्वीकार नहीं होगी।
17. प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं एवं अन्य सामग्री की प्राप्त अधिकतम बोली को स्वीकार करने के लिए महाविद्यालय बाध्य नहीं है। किसी भी प्रकार की विवादास्पद स्थिति मे प्राचार्य, महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
18. सफल बोलीदाता विक्रित सामग्री को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न सबलेट करेगा।
19. बोलीदाता को बोली की शर्तों एवं विनिर्देशों की स्वीकृति के प्रति स्वरुप बोली के प्रपत्रों एवं निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने हैं।

महिला अभियान्त्रिकी महाविद्यालय,अजमेर
(बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का संघटक महाविद्यालय)
WOMEN ENGINEERING COLLEGE, AJMER
(A CONSTITUENT COLLEGE OF BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY, BIKANER)
Nasirabad Road, Makhupura, Ajmer – 305002
website: www.gweca.ac.in
email: principal@gweca.ac.in
Ph. No.: 0145-2695535
Fax No.:0145-2695102

37

20. बोलीदाता माल (उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल/ कागज की रद्दी सामग्री) देखकर व माल के वजन का अनुमान कराकर समस्त माल जिस स्थिति में महाविद्यालय परिसर में जहां-जहां पर है, वहीं से पूरा उठाना होगा।

21. जिसके नाम बोली छूटेगी उसे प्रयुक्त साबुत उत्तरपुस्तिकाऐं व अन्य कागज की रद्दी सामग्री को महाविद्यालय मैं ही कटवाकर ही 7 दिवस के अंदर ले जाना होगा तथा उसी समय समस्त रद्दी सफलता पूर्वक काटने की अंडरटेकिंग / प्रमाणपत्र महाविद्यालय मैं जमा करवाना होगा । यदि उत्तरपुस्तिकाएं व रद्दी में दिये गये कोई भी दस्तावेज यथा प्रश्न पत्र, ओ.एम.आर शीट, अंकतालिकाएं, आवेदन पत्र इत्यादि बाजार में विक्रय हेतु पाई गई तो संबंधित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक /कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए क्रेता बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा। रद्दी सामग्री की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।

22. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि संविदा के पूर्ण होने के पश्चात् समस्त संबंधितो से संतोषप्रद माल उठाने की सूचना तथा वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर लौटा दी जाएंगी। ऐसी धरोहर राशि पर महाविद्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

23. विक्रय की गई उत्तरपुस्तिकाओं/अन्य प्रयुक्त स्टेशनरी सामग्री/कागज की काटी गई रद्दी का परिवहन अनुमोदित क्रेता को अपने स्वयं के व्यय पर पूर्ण सावधानी के साथ करना होगा तथा सामग्री को मजबूत त्रिपाल आदि से चारों तरफ से इस ढंग से मजबूती से कवर्ड करना होगा ताकि परिवहन के दौरान मार्ग में कहीं पर भी काटी गई रद्दी सामग्री गिरने नही पावे।

24. सामग्री के लोडिंग/अनलोडिंग की जिम्मेदारी व लेबरचार्ज के वहन की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

25. अवशेष शर्तें / सुसंगत प्रावधान सामान्य वित्तीय लेखा नियम भाग द्वितीय में यथा वर्णितानुसार लागू होंगे।